UPSB010023732026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1047/2026

सुधीर उर्फ लखन जायसवाल उम्र 22 वर्ष पुत्र राकेश जायसवाल, निवासी– सलखन, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त **सुधीर उर्फ लखन जायसवाल** के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जायसवाल एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थी **सुधीर उर्फ लखन जायसवाल,** मु.अ.सं.–172/2026,अं.धारा –109(1), 115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि अभियोजन कथानक पूरी तरह से झूठी है सही घटना यह है कि पिता स्व0 राकेश की सन् 2021 में हत्या कर दिये थे, जिसके सम्बन्ध में उसकी मां माधुरी देवी ने थाना चोपन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अ.सं.–186/2021 पर दर्ज करायी थी, जिसका विचारण न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष चल रही है, जिसमें उसकी मां माधुरी देवी के जिरह हेतु पत्रावली लगी हुई है। उक्त मुकदमा अपराध में सुलह–समझौता हेतु वादी अभय कुमार व अन्य अभियुक्तगण उसकी मां के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सुलह–समझौता हेतु तैयार नहीं हुई तो दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 1.30 बजे दोपहर वह गैस गोदाम मेन हाइवे सलखन से खाना खाने घर आ रहा था कि सरकारी अस्पताल सलखन के सामने रोड पर वादी मुकदमा व प्रवीण जायसवाल उसको मुकदमें में सुलह की बात कहते हुए गाली–गुप्ता देते हुए चाकू व फावड़ा लेकर दोनों जान से मारने के लिए हमला कर दिये। उपरोक्त घटना का वीडियो वादी मुकदमा के परिवार के लोगों ने बनाया है जिसे वायरल किया गया जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है कि वादी मुकदमा ने अपने हाथों में चाकू लिया हुआ है तथा प्रवीण फावड़ा लेकर मारने के लिए दौड़ कर जा रहा है। उसने कोई घटना कारित नहीं किया है। उसको किसी आपराधिक मुकदमें में दण्डित नहीं किया गया है। वह निर्दोष है। वह जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अभय कुमार पुत्र समाकान्त जायसवाल ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी पुश्तैनी जमीन व मकान सलखन बाजार में स्थित है, जिसको वह तथा उसका परिवार बराबर आते—जाते हैं दि. 10.05.2026 को वह सलखन बाजार में अपनी पुश्तैनी जमीन व मकान देखने आया था कि समय करीब 1.30 बजे दोपहर में मकान विवाद को लेकर विपक्षी कन्हैया जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल, सुधीर उर्फ लखन जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल, मान्सी जायसवाल पुत्री राकेश जायसवाल, माधुरी पत्नी राकेश जायसवाल एक साथ होकर उसे रास्ते में सलखन बाजार सरकारी अस्पताल के सामने रोककर गाली—गलौज देने लगे तो उसने गाली देने से मना किया तो सुधीर जायसवाल व कन्हैया जायसवाल उनके परिवार को मां और बहन के द्वारा लाठी—डण्डा तथा धारदार हथियार चाकू, हथौड़ी से जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में तथा दाहिने हाथ व बांये सीने पर चाकू से मारने पर हाथ की नस कट गयी। उसके शोरगुल करने पर बाजार के बहुत से लोग तथा उसके रिश्तेदार आकर बीच—बचाव किये तब किसी तरह से जान बचाकर अपने रिश्तेदार के मदद से थाने पर आया। यह लोग गुण्डा किस्म के व्यक्ति हैं एवं आये दिन उसे तथा उसके परिवार को परेशान व जान से मारने की धमकी देते हैं। उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत जाने हेतु प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जमीनी विवाद को लेकर रास्ते में सलखन बाजार सरकारी अस्पताल के सामने रोककर गाली गलौज देने लगे, मना करने पर प्रार्थी/अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ लाठी—डण्डा तथा धारदार हथियार (चाकू), हथौड़ी से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे उसके सिर व दाहिने हाथ व बाये सीने पर चाकू से मारने पर हाथ की नस कट गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। थाने द्वारा प्रार्थी का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत है।

(i)अ0सं0—187/2021,धारा 323, 336, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना चोपन,जिला सोनभद्र

(ii)अ0सं0—231/2022,धारा 323, 452, 504, 506भा0दं0सं0 थाना चोपन,जिला सोनभद्र

(iii)अ0सं0—45/2025,धारा 324(4), 329(3), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना चोपन, जिला सोनभद्र

8. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, अपराध कारित करने में प्रार्थी की भूमिका एवं थाने द्वारा प्रार्थी के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी **सुधीर उर्फ लखन जायसवाल** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या —172/2026, अं.धारा—109(1),115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक—01.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र